सत्यमेव जयते

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

अराजपत्रित रेल कर्मचारियों का पुष्टिकरण – मास्टर परिपत्र

Confirmation of Non-Gazetted Railway Employees – Master Circular

Scanned by CamScanner

218
2/8/14

Master Circular No.19
(Updated June, 2019)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No.E(NG)1/2019/CN 5/1 New Delhi, dated: 4 .06.2019

The General Managers,
All Zonal Railways &,
Production Units.
(as per standard mailing list)

Sub: **Confirmation of non-gazetted Railway employees - Master Circular.**

The provision regarding confirmation of non-gazetted Railway employees are contained in Section 'F' of Chapter 1 of Indian Railway Establishment Manual, Vol.I, 2009 Reprint Edition, and Instructions on the subject issued from time to time.

The Master Circular No.19 on "Confirmation" has been updated incorporating the provisions of instructions on the subject issued since 11.01.1991.

The updated Master Circular follows:-

2. A. General:

i) Confirmation will be made only once in the service of a Railway servant which will be the entry grade;
ii) Confirmation is delinked from the availability of permanent posts in the grade. In other words, a Railway servant who has successfully completed the probation may be considered for confirmation;
iii) A two years probation period should be introduced in all recruitment grades. Where initial training period is prescribed, such as in the case of Apprentice PWIs, Traffic Apprentices, etc. the probation period will start after successful completion of the training.

B. Confirmation in the Grade to which initially recruited:

i) The appointee should satisfactorily complete the probation;
ii) The existing procedure for considering a Railway servant as eligible for confirmation should continue to be followed;
iii) A specific order of confirmation will be issued when the case is cleared from all angles.

...2/-

Scanned by CamScanner

C. On Promotion:

i) The appointing authority should assess the performance of the employee during probation by going through the confidential reports, if maintained, otherwise the working reports immediately on completion of probation and the whole procedure including obtaining vigilance clearance, issue of formal orders, if the competent authority has come to the conclusion that the employee has satisfactorily completed the period of probation, should be completed within a maximum period of six months. A copy of the order issued should be endorsed to the employees concerned;

ii) Where probation is prescribed, the appointing authority will, on completion of the prescribed period of probation, assess the work and conduct of the Railway servant himself and in case the Railway servant is found fit to hold the higher grade, he will pass en order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If the appointing authority considers that the work of the Railway servant has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation as the case may be. Since there will be no confirmation on promotion before an official is declared to have completed the Probation satisfactorily, a rigorous screening of his performance should be made and there should be no hesitation to revert a person to the post or grade from which he was promoted, if his work during probation has not been satisfactory.

iii) There should be a probation period of twelve months in all grades of promotion. Cases of staff promoted on regular basis, should be reviewed after completion of twelve months probation with a view to determine their suitability for retention in the grade. The review should be completed early and a decision to retain the employee in the higher post, or to revert to the lower grade should be taken and implemented within a period of six months from the date of completion of the probation.

3. The revised procedure relating to confirmation will not apply to the cases of appointments made on ad-hoc basis i.e. it is only the appointments made on regular basis, which will come within the purview of these instructions.

4. Sometimes Establishments are created for a specific objective for a limited period as in the case of Committees and Commissions to study or investigate a specific problem. Normally, posts in such Establishments are filled by deputation or on contract basis which would not result in regular incumbency. Even in a few cases where regular appointments are made by framing the recruitment rules, appointments are made according to these rules, these instructions about confirmation would not apply. In other words, persons appointed against the posts in purely temporary organisations are outside the purview of the revised procedure outlined in this circular.

...3/-

Scanned by CamScanner

5. These orders will not apply to ex-cadre/tenure posts/Casual Labour and substitutes, if any, including Casual Labour and Substitutes with temporary status.

6. These orders will apply to the directly recruited Junior Accounts Assistants subject to the condition that they will be confirmed after successful completion of the probation period, if they have passed Appendix-II-A Examination within that period. In case, they fail to pass the examination within the prescribed period of probation, the benefit of confirmation will follow, only from the date of passing the said examination.

7. These orders will also apply to the Workshop staff i.e. skilled, semi-skilled and unskilled staff employed in workshops. Board's order No. E51/RC1/4/3-Pt.I dated November 21, 1953 regarding confirmation of the Workshop staff will be treated as withdrawn. (E(NG) I/88/CN5/2 dated 20.01.1989).

8. These instructions are effective from 1/1/89.

Rescinding of irregular confirmation:

9. Cases requiring rescinding of confirmation may arise in circumstances falling in the following categories:

i) the order of confirmation was clearly contrary to the statutory rules and there is no power or discretion to relax the Rules;
ii) the order of confirmation was made in error e.g., naming wrong person-mistake in identity; and
iii) the order of confirmation was made in contravention of executive or administrative instructions.

NOTE:

Orders of Confirmation in cases (i) & (ii) above are void ab-initio and the Railway servant does not acquire any right hold the post in which the order purported to confirm him.
Cases falling under item (iii) above, may however, amount to reduction in rank without any fault on the part of the Railway servant.
[E(NG)I/68/CN5/18 dated 15/7/69, E(NG) I/82/CN5/ 3 dated 27/7/82].

10. Ministry of Railways (Railway Board) have decided that insofar as non-gazetted Railway servants are concerned, the cases pertaining to rescinding of confirmation may be decided with the approval of the General Manager or any other officer not below the rank of Head of the Department

...4/-

Scanned by CamScanner

11. General:

a) While referring to this circular, provision of Section 'F' of Chapter-I of IREM Vol.I, 2009 – Reprint edition, and the original letters referred to herein should be read for a proper appreciation. This Circular is only a consolidation of the instructions issued so far and should not be treated as a substitution to the originals. In case of doubt, the original, circular should be relied upon as authority.

b) The instructions contained in the original circulars referred to have only prospective effect from the date of issue unless specifically indicated otherwise in the concerned circular. For dealing with old cases, the instructions in force at the relevant time should be referred to; and

c) If any circular on the subject, which has not been superseded, has not been taken into consideration while preparing this consolidated letter, the said circular, which has been missed through oversight, should be treated as valid and operative. Such a missing circular, if any, may be brought to the notice of the Railway Board.

Hindi version will follow.

(D. Joseph)
Jt. Director/Estt. (N)
Railway Board

Consolidation has been made from the following letters:

1 E(NG) I/68/CN5/18 dated 15/7/69.
2. E(NG)I/82/CN5/3 dated 27/7/82.
3. E(NG)I/88/CN5/2 dated 20/1/89.
4 E(NG)I/98/CN 5/1 dated 12.10.1998.
5. E(NG)I/2001/CN 5/1 dated 23.08.2001.
6. E(NG)I/98/CN 5/1 dated 02.08.2001.

*****

Scanned by CamScanner

मास्टर परिपत्र सं. 19
(अद्यतन जून, 2019)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी)1/2019/सीएन 5/1 नई दिल्ली, दिनांक: 04.06.2019

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: अराजपत्रित रेल कर्मचारियों का पुष्टिकरण - मास्टर परिपत्र।

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, वॉल.I, 2009 पुनः मुद्रित संस्करण के अध्याय 1 के खंड 'च' और इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों में अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के पुष्टिकरण के संबंध में प्रावधान अंतर्विष्ट हैं।

"पुष्टिकरण" पर मास्टर परिपत्र सं. 19 में इस विषय पर 11.01.1991 से जारी अनुदेशों के प्रावधानों को समाविष्ट करके अद्यतन किया गया है।

अद्यतन मास्टर परिपत्र निम्नानुसार है:-

2. क. सामान्य:

i) रेल कर्मचारी की सेवा में पुष्टिकरण केवल एक बार ही की जाएगी, जो प्रवेश ग्रेड होगा;
ii) पुष्टीकरण को ग्रेड में उपलब्ध स्थायी पदों से डीलिंक कर दिया गया है। अन्य शब्दों में, जिस रेल कर्मचारी ने सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूरी कर ली है, उसके पुष्टीकरण के लिए विचार किया जाए;
iii) सभी भर्ती ग्रेडों में दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि को शामिल किया जाए। जहां आरंभिक प्रशिक्षण अवधि निर्धारित की गई है, जैसे कि अप्रेन्टिस, पीडब्ल्यूआई, यातायात अप्रेन्टिस, आदि मामले में है, परिवीक्षा अवधि प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद आरंभ होगी।

ख. आरंभ में नियुक्त किए गए ग्रेड में पुष्टिकरण:

i) नियुक्त किए गए व्यक्ति को संतोषजनक ढंग से परिवीक्षा पूरी करनी चाहिए;
ii) रेल कर्मचारी को पुष्टीकरण के लिए पात्र समझे जाने पर विचार करने की मौजूदा प्रक्रिया का पालन किया जाता रहे;
iii) हर प्रकार से मामला क्लियर होने पर पुष्टिकरण का विशिष्ट आदेश जारी किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

ग. पदोन्नति पर:

i) नियुक्ति प्राधिकारी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद गुप्त रिपोर्टों, यदि रखी जाती हैं, अथवा कार्य-निष्पादन रिपोर्ट के द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान कर्मचारी के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करें और यदि सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कर्मचारी ने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी की है तो सतर्कता अनापत्ति, औपचारिक आदेश जारी करने सहित पूरी प्रक्रिया को अधिकतम छह माह की अवधि में पूरा किया जाए। जारी किए गए आदेश की एक प्रति संबंधित कर्मचारी को पृष्ठांकित की जाए।

ii) जहां परिवीक्षा निर्धारित की गई है, परिवीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति अधिकारी स्वयं रेल सेवक के कार्य और आचरण का मूल्यांकन करेंगे और यदि रेल सेवक को उच्चतर ग्रेड धारण करने के लिए फिट पाया जाता है, तो वह एक आदेश जारी करेंगे जिसमें यह घोषणा कि जाएगी कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी यह समझते हैं कि रेल सेवक का कार्य संतोषजनक नहीं है अथवा इसे कुछ समय के लिए परखने की आवश्यकता है, तो वह उन्हें पुनः उसी पद अथवा ग्रेड पर रिवर्ट कर सकते हैं जिस पद से उन्हें पदोन्नत किया गया था, अथवा परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते हैं, जैसा भी मामला हो। चूंकि पदोन्नति पर कोई पुष्टिकरण नहीं होगा इसलिए, जब तक कि यह घोषित नहीं किया जाता कि अधिकारी ने सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, उनके प्रदर्शन की कठोरता से जांच की जानी चाहिए और उस व्यक्ति को पुनः उस पद अथवा ग्रेड पर रिवर्ट करने में कोई संशय नहीं होना चाहिए जिस पद से उन्हें पदोन्नत किया गया है, यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान उनका कार्य संतोषजनक नहीं है।

iii) पदोन्नति के सभी ग्रेडों में 12 माह की परिवीक्षा अवधि होनी चाहिए। नियमित आधार पर पदोन्नत कर्मचारियों के मामलों की उस ग्रेड में बने रहने की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए 12 माह की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद समीक्षा की जाए। समीक्षा शीघ्र पूरी की जाए और कर्मचारी को उच्चतर पद पर बरकरार रखने अथवा निम्नतर पद पर रिवर्ट करने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए।

3. पुष्टिकरण से संबंधित संशोधित प्रक्रिया तदर्थ आधार पर की गई नियुक्तियों के मामलों में लागू नहीं होगी अर्थात यह केवल नियमित आधार पर की गई नियुक्तियों के लिए ही है, जो इन अनुदेशों की परिधि में आएंगी।

4. कभी-कभी स्थापनाएँ विशेष उद्देश्य हेतु सीमित समय के लिए सृजित की जाती हैं जैसा कि समितियों और आयोगों में विशेष समस्या का अध्ययन अथवा जांच करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः, ऐसी स्थापनाओं में पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा ठेके के आधार पर ही भरा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नियमित पदस्थता नहीं होगी। यहाँ तक कि कुछ मामलों में जहां नियमित नियुक्तियाँ भर्ती नियमों का सृजन करके की जाती है, वहाँ नियुक्तियाँ इन नियमों के अनुसार की जाती है, और इन पर पुष्टिकरण के ये अनुदेश लागू नहीं होंगे। अन्य शब्दों में, पूर्ण रूप से अस्थाई संगठनों में पदों के तहत नियुक्त किए गए व्यक्ति इस परिपत्र में रेखांकित संशोधित प्रक्रिया की परिधि से बाहर हैं।

Scanned by CamScanner

5. ये आदेश अस्थायी किस्म के अनियत मजदूर और एवजी सहित संवर्ग बाह्य/सावधिक पदों/अनियत मजूदरों और एवजियों, यदि कोई हों, पर लागू नहीं होंगे।

6. ये आदेश इस शर्त के अध्यधीन सीधे भर्ती किए गए कनिष्ठ लेखा सहायकों पर भी लागू होंगे कि उन्हें सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद कन्फर्म किया जाएगा, यदि उन्होंने उस अवधि के भीतर एपेंडिक्स-।।-ए परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यदि वे परिवीक्षा की निर्धारित अवधि में उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो पुष्टिकरण का लाभ उक्त परीक्षा को उत्तीर्ण करने की तारीख से ही दिया जाएगा।

7. ये आदेश वर्कशॉप के कर्मचारियों अर्थात वर्कशॉप में तैनात किए गए कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। वर्कशॉप के कर्मचारियों के पुष्टिकरण के संबंध में बोर्ड के दिनांक 21.11.1953 के आदेश सं.ई51/आरसी1/4:-पार्ट-। के आदेश वापस लिए समझे जाएंगे। (दिनांक 20.01.1989 का सं.ई(एनजी)-I/88/सीएन5/2)

8. ये अनुदेश 01.01.1989 से लागू हैं।

<u>अनियमित पुष्टिकरण को निरस्त करना</u>

9. निम्नलिखित कोटियों में आने वाली परिस्थितियों में पुष्टिकरण निरस्त करने की आवश्यकता वाले मामलों में:

(i) पुष्टिकरण का आदेश पूरी तरह से सांविधिक नियमों के विपरीत था और इन नियमों में छूट देने के लिए कोई शक्ति या अधिकार नहीं है;
(ii) पुष्टिकरण का आदेश गलती से दिया गया था अर्थात गलत व्यक्ति का नाम लिखना, पहचान में चूक होना; और
(iii) पुष्टिकरण का आदेश कार्यकारी या प्रशासनिक अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए दिया गया था।

नोट:
उक्त मामले (i) और (ii) में पुष्टिकरण के आदेश शुरू से खारिज किए जाते हैं और रेल सेवक का उस पद पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है जिस पद पर उसे कन्फर्म करने के आदेश दिए गए हैं।
बहरहाल, उक्त मद (iii) के अंतर्गत आने वाले मामले के कारण रैंक में कमी की जा सकती है, जिसमें रेल सेवक की कोई गलती नहीं होगी।
[ई(एनजी)I/68/सीएन5/18 दिनांक 15/7/69, ई(एनजी)I/82/सीएन5/3 दिनांक 27/7/82].

10. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा विनिश्चय किया गया है कि जहां तक अराजपत्रित रेल सेवकों का संबंध है, इसके लिए पुष्टिकरण निरस्त करने से संबंधित मामले महाप्रबंधक या किसी अन्य अधिकारी, जो विभागाध्यक्ष के रैंक से नीचे का न हो, के अनुमोदन से निर्धारित किए जाएं।

Scanned by CamScanner

11. **सामान्य:**

(क) इस परिपत्र का संदर्भ लेते समय, समुचित मूल्यांकन के लिए भारतीय रेल स्थापना नियमावली, वॉल.I, 2009 - पुनः मुद्रित संस्करण के अध्याय 1 के खंड 'च' और इस पत्र में उल्लिखित मूल पत्रों को पढ़ा जाना चाहिए। यह परिपत्र अब तक जारी किए गए अनुदेशों का केवल समेकन है और इसे मूल पत्रों का प्रतिस्थापन नहीं समझा जाना चाहिए। संदेह के मामले में मूल परिपत्र को प्राधिकार के रूप में समझा जाना चाहिए।

(ख) संदर्भित मूल परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों का केवल उन्हें जारी करने की तारीख से प्रत्याशित प्रभाव है जब तक कि संबंधित परिपत्र में इसका विषेशरूप से अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाता। पुराने मामलों का निपटान करने के लिए संबंधित समय पर लागू अनुदेशों का ही पालन किया जाए, और

(ग) यदि इस विषय पर कोई परिपत्र, जिसका अधिक्रमण नहीं किया गया हो, इस समेकित पत्र को तैयार करते समय इस पर विचार नहीं किया गया हो, जो भूलवश छूट गया हो, उसे वैध और लागू माना जाएगा। इस छूटे हुए परिपत्र, यदि कोई हो, को रेलवे बोर्ड के नोटिस में लाया जाए।

डी.जोसफ
(डी. जोसफ)
संयुक्त निदेशक/स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड

यह समेकन निम्नलिखित पत्रों से किया गया है:

1. ई(एनजी)I/68/सीएन5/18 दिनांक 15/7/69.
2. ई(एनजी)I/82/सीएन5/3 दिनांक 27/7/82.
3. ई(एनजी)I/88/सीएन5/2 दिनांक 20/1/89.
4. ई(एनजी)I/98/सीएन5/1 दिनांक 12.10.1998.
5. ई(एनजी)I/2001/सीएन5/1 दिनांक 23.08.2001.
6. ई(एनजी)I/98/सीएन5/1 दिनांक 02.08.2001.

Scanned by CamScanner